राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 ईमेल : **cedlbjp@gmail.com** वेबसाईट : **www.lsg.urban.rajasthan.gov.in**

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 29390–422 दिनांक : 06.05.2022

जिला कलेक्टर (समस्त),
राजस्थान।

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु सं. 6 के अनुसरण में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)"** के क्रियान्वयन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि:–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के बिन्दु सं. 6 पर शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना"** लागू करने की घोषणा की गई है।
2. इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा।
3. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)** लागू की जा रही है।
4. योजना की विस्तृत **मार्गदर्शिका (Guide Lines)** संलग्न है।
5. इस सम्बन्ध में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों में शीघ्र ही इस योजना का शुभारम्भ किया जावेगा।
6. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित कि जाऐ–
   a. योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार अनुमत कार्यो का चिन्हीकरण / चयन। यह चिन्हीकरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में कार्य–योजना (Action Plan) व श्रम बजट (Labour Budget) बनाया जाऐगा। निकाय वार Budget ceiling सभी निकायों को पृथक से भिजवाई गई है।
   b. उपर्युक्त कार्य–योजना (Action Plan) व श्रम बजट का जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) की अध्यक्षता में गठित समिति (योजना के बिन्दु सं 9–C) से अनुमोदन करवाया जाऐ।
   c. योजना में पात्र परिवारों / श्रमिकों को सूचीबद्ध कर जॉब कार्ड जारी करना। जॉब कार्ड जारी करने हेतु IRGY-Urban MIS Portal शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा

रहा है। जॉब कार्ड जारी करने हेतु प्रपत्र–1 में आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर या ई'मित्र सेन्टर के माध्यम से अथवा नगरीय निकाय के कार्यालय में आवेदन किए जाने पर प्रपत्र–2 में जॉब कार्ड जारी किया जाऐगा।

d. नगरीय निकाय कार्यालय या जोन कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक हेल्प–डेस्क स्थापित की जानी है।

e. रोजगार चाहने वाले पात्र व्यक्तियों की वार्ड–वार सूची बनाना।

f. कार्य–वार (Work-wise) श्रमिकों के नियोजन की सूची बनाना।

g. अनुमोदित कार्य–योजना (Action Plan) में से किये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पत्रावली पर जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) से अनुमोदन उपरान्त जारी की जानी है। कार्यो की तकनिकी स्वीकृति विभाग की Schedule of Power के अनुसार संबंधित अभियन्ता द्वारा की जानी है।

h. नगरीय निकाय में पृथक से **"IRGY प्रकोष्ठ"** गठित करना।

i. आवश्यक सामग्री–मस्टररोल, माप–पुस्तिका, प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, मोनिटरिंग फॉर्मेट इत्यादि की व्यवस्था करना।

j. **प्रशिक्षण** –राज्य स्तर से शीघ्र ही सभी हितधारको को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् जिला स्तर व निकाय स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) के निर्देशन में प्रदान करना।

k. विभिन्न संचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

l. जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) द्वारा योजना की मार्गदर्शिका के प्रपत्र सं. 4 में दर्शित विवरण अनुसार कार्मिकों का नियोजन किया जाना है। इन कार्मिकों के नियोजन पश्चात निकाय स्तर पर कार्य आवंटन कर मोनिटरिंग करना।

उपर्युक्तानुसार प्रारम्भिक कार्यवाही 15 मई, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे एवं नगरीय निकायों के स्तर पर योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु कार्यालय भवन व संसाधनों की व्यवस्था भी कर ली जावे। योजना के संबंध में निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग में राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता मो.न. 9414266266, फोन नं.– 0141–2222469, ई–मेल आई.डी.–cedlbjp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न : मार्गदर्शिका (Guide Lines)।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 29423-30024 दिनांक : 06/05/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
12. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
13. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
14. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
15. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
17. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव